राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : F.15(4)Edu-1/2025-28478-7076901 जयपुर, दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षर

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

विषयः– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की कक्षा–11 में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी समेकित प्रतिशत में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– RCSE/JP/MS/Sanhalan/pravesh Prakriya/170- 00804-Part File (1)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा–11 के लिए प्रवेश हेतु विभाग के पत्रांकः प.4(15)शिक्षा–1/2015 जयपुर दिनांक 30.03.2017 के अनुसार जारी प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 3.0 के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	सीबीएसई से संबंद्व स्कूल/मॉडल स्कूल/अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंद्व स्कूल	पूर्व में जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित /जीव विज्ञान संकाय के लिए समेकित प्राप्तांक	संशोधन उपरान्त प्रवेश नीति के अनुसार गणित /जीव विज्ञान संकाय के लिए समेकित प्राप्तांक
1	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।	60 प्रतिशत	55 प्रतिशत
2	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड।	65 प्रतिशत	60 प्रतिशत

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(ओ.पी.वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

Document certified by OM PRAKASH VERMA <op.varma1970@gmail.com>.
शासन उप सचिव
Digitally Signed by OM PRAKASH VERMA
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :28-02-2025 01:38:19

Raj Ref No.: 13875193